तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.23/2022**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
14.02.2023	पत्रावली पेश हुई। श्री रमेशचन्द्र सैनी, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी मोटाराम देवासी पुत्र सादलाराम देवासी, जाति-- देवासी, निवासी– रिक्को इण्डस्ट्रीयल एरिया, प्लॉट नं. एच–150 , सिरोही, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म अम्बिका केटर्स, रिक्को इण्डस्ट्रीयल एरिया, प्लॉट एच नं.–150, सिरोही, जिला– सिरोही अनुपस्थित। आवेदक श्री रमेशचन्द्र सैनी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 30.10.2021 को फर्म अम्बिका केटर्स, रिक्को इण्डस्ट्रीयल एरिया प्लॉट नं. एच–150, सिरोही, जिला– सिरोही में प्रतिवादी मोटाराम देवासी से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ घी लूज का नमूना संख्या S-1529 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./830/Act/2021/1027 दिनांक 31.12.2021 में अमानक (Sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 08.2.2023 को प्रतिवादी मोटाराम ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर प्रकरण में प्रतिवादी को दिनांक 08.2.2023 ही सुना गया। प्रतिवादी ने अनुरोध किया कि यह उसका प्रथम अपराध है एवं भविष्य में अमानक खाद्य पदार्थ का विक्रय नही करेगा। प्रतिवादी का छोटा व्यापार है, प्रतिवादी ने घी लूज को गांवों से खरीद कर लाया था, जिसमें उसने कोई मिलावट नही की है। अतः कम से कम जुर्माना करके प्रकरण का निस्तारण करावे। हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि तत्कालीन खाद्य [illegible] अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा (हाल निलम्बित) दिनांक 30.[illegible].2021 को दौराने गश्त समय 11.00 ए.एम. पर [illegible] निरीक्षण हेतु फर्म अम्बिका केटर्स, रिक्को इण्डस्ट्रीयल [illegible] प्लॉट नं. ....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:34:42 IST
Reason: SelfAttested

मा० जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.23/2022**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

एच–150, सिरोही, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता व मालिक की हैसियत से प्रतिवादी मोटाराम देवासी पुत्र सादलाराम देवासी, जाति– देवासी, निवासी– रिक्को इण्डस्ट्रीयल एरिया, प्लॉट नं. एच–150, सिरोही, जिला– सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ घी लूज बेचता है। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा अम्बिका केटर्स के गोदाम के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ घी के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना मौके पर उपस्थित गवाह श्री केसाराम पुत्र सादलाराम, रिक्को इण्डस्ट्रीयल एरिया, एच–150, सिरोही के समक्ष प्रपत्र 5ए में विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता मोटाराम देवासी को भरकर दी व रसीद प्राप्त की। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने गोदाम के अन्दर फर्श पर रखे हुए खाद्य पदार्थ घी के तीन लूज कंटेनर (प्रत्येक पांच लीटर) में से एक लूज कंटेनर में रखे हुए खाद्य पदार्थ घी को अच्छी तरह हिलामिलाकर एकरुप किया एवं इस एकरुप किये हुए खाद्य पदार्थ घी में से 800 ग्राम घी को एक साफ, सूखे, खाली भिगोनें में वास्ते नमूना जांच खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 360/– (अक्षरे रुपये तीन सौ साठ मात्र) विक्रेता मोटाराम को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1529, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ घी आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा स्वयं ने हस्ताक्षर किये। खरीदशुदा खाद्य पदार्थ घी को गवाह एवं विक्रेता को चार साफ, सूखी व खाली शीशीयां में बराबर मात्रा में भरकर प्रत्येक शीशी को ढक्कन से एयरटाईट बन्द किया। प्रत्येक नमूना शीशी पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया एवं चारों नमूना शीशीयों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1529 को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपडी किया व प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा स्वयं

......लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:34:42 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.23/2022**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता, गवाह व तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने दिनांक 31.10.2021 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री विश्वजीत, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 30.10.2021 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा फर्म अम्बिका केटर्स, रिक्को इण्डस्ट्रीयल एरिया, प्लाट नं. एच–150, सिरोही, जिला– सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता मोटाराम देवासी से खाद्य पदार्थ घी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की विधिवत कार्यवाही करते हुए जांच हेतु नमूनें का एक भाग मय फार्म नम्बर 6 के सीलबन्द लिफाफे के खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाया गया है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ घी के नमूना संख्या S-1529 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक: L.S./830/Act/2021/1027 दिनांक 31.12.2021 के अनुसार खाद्य पदार्थ घी का नमूना संख्या S-1529 अमानक (Sub-standard) पाया गया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि विक्रेता मोटाराम देवासी पुत्र सादलाराम देवासी, जाति– देवासी, निवासी रिक्को इण्डस्ट्रीयल एरिया, प्लाट नं. एच–150, सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म अम्बिका केटर्स, रिक्को .....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:34:42 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** **F.S.S.Act Case No.23/2022**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	इण्डस्ट्रीयल एरिया, प्लॉट नं. एच–150, सिरोही ने अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ घी का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ घी का विक्रय करने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत प्रतिवादी मोटाराम देवासी पुत्र सादलाराम देवासी, जाति– देवासी, निवासी– रिक्को इण्डस्ट्रीयल एरिया, प्लॉट नं. एच–150, सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म अम्बिका केटर्स, रिक्को इण्डस्ट्रीयल एरिया, प्लॉट नं. एच–150, सिरोही, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 5,000/– (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादी मोटाराम देवासी पुत्र सादलाराम देवासी, जाति– देवासी, निवासी– रिक्को इण्डस्ट्रीयल एरिया, प्लॉट नं. एच–150, सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म अम्बिका केटर्स, रिक्को इण्डस्ट्रीयल एरिया, प्लॉट नं. एच–150, सिरोही को आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 7 दिवस में जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 21.3.2023 को पेश हो। (के.आर.खौड) **अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट** **सिरोही** Signature Not Verified Digitally signed by Kalu Ram Khod Date: 2023.03.21 15:34:42 IST Reason: SelfAttested	

अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)